

कार्यालय नगरपालिक निगम भिलाई

क्रमांक / 2595 / चार / रा.वि. / 2025

भिलाई, दिनांक 13 / 10 / 2025

—:: निविदा आमंत्रण सूचना ::—

नगरपालिक निगम, भिलाई द्वारा विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु रिक्त भूखण्डों का अंतरण 30 वर्षीय लीज पर किये जाने हेतु निविदा/प्रस्थापना ऑनलाईन पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, रिक्त भूखण्डों के निविदा की अवधि का विवरण निम्नानुसार है :-

S.N.	Event Description	Start Date (Time)	End Date (Time)
1	Pre Qualification Document Submission	13/10/2025 10:00 AM	03/11/2025 5:30 PM
2	Short Listing of Bidder	04/11/2025 10:00 AM	14/11/2025 5:30 PM
3	Live Auction	17/11/2025 10:00 AM	05/12/2025 5:30 PM

निविदा/प्रस्थापना निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	ब्लॉक क्र.	भूखण्ड क्र.	Auction No	भूखण्ड का आकार	ऑफसेट मूल्य	घरोहर राशि (ऑफसेट मूल्य का 10 प्रतिशत)
1	मोतीलाल नेहरू नगर पूर्व आवासीय योजना	E	2	177341	12+11.80x 15 = 178 व०मी०	8052720	805272
2		E	5	177342	11.84X15 = 177.60 व०मी०	8034240	803424
3		D	3	177343	12X15 = 180 व०मी०	8143200	814320
4		C	8	177344	12X18 = 216 व०मी०	9771840	977184
5		90	5	177345	9X15 = 135 व०मी०	6107400	610740
6		90	7	177346	9X15 = 135 व०मी०	6107400	610740
7		J	5	177347	6X10.5 = 63 व०मी०	2850120	285012
8		K	4	177348	6X10.5 = 63 व०मी०	2850120	285012
9		K	9	177349	6X10.5 = 63 व०मी०	2850120	285012
10		K	10	177350	6X10.5 = 63 व०मी०	2850120	285012
11	दक्षिण गंगोत्री व्यवसायिक योजना	5A	6	177351	4.5X7.5=33.75 व०मी०	3487050	348705
12		5A	7	177352	4.5X7.5=33.75 व०मी०	3487050	348705
13		5A	9	177353	4.5X7.5=33.75 व०मी०	3487050	348705
14		5A	10	177354	4.5X7.5=33.75 व०मी०	3487050	348705
15		5A	11	177355	4.5X7.5=33.75 व०मी०	3487050	348705
16		5A	13	177356	4.5X7.5=33.75 व०मी०	3487050	348705
17		5A	14	177357	4.5X7.5=33.75 व०मी०	3487050	348705
18		31	2	177358	4.5X6.75=30.375 व०मी०	3138346	313835
19		36	7	177359	4.5X9=40.5 व०मी०	4184460	418446
20		36	8	177360	4.5X9=40.5 व०मी०	4184460	418446
21	मदर टेरेसा नगर आवासीय योजना	30	10	177361	9X15 = 135 व०मी०	1919700	191970
22		42	15	177362	9X15 = 135 व०मी०	1919700	191970
23		42	16	177363	9X15 = 135 व०मी०	1919700	191970
24		31	2	177364	12X18 = 216 व०मी०	3071520	307152
25		31	3	177365	12X18 = 216 व०मी०	3071520	307152
26		41	17	177366	9X15 = 135 व०मी०	1919700	191970
27		41	18	177367	9X15 = 135 व०मी०	1919700	191970

आयुक्त

क्रमशः 02

नगर पालिक निगम
भिलाई

	जिना का नाम	ब्लॉक क्र.	भूखण्ड क्र.	Auction No	भूखण्ड का आकार	ऑफसेट मूल्य	धरोहर राशि (ऑफसेट मूल्य का 10 प्रतिशत)
28	शिवाजी नगर आवासीय योजना	7A	9	177368	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
29		7A	10	177369	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
30		7A	11	177370	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
31		7A	12	177371	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
32		7A	14	177372	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
33		7A	15	177373	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
34		7A	16	177374	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
35		7A	17	177375	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
36		9	9	177376	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
37		10	5	177377	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
38		10	16	177378	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
39		10	18	177379	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
40		10	19	177380	4.5X9=40.5 व०मी०	471420	47142
41	प्रियदर्शनीय परिसर पश्चिम व्यवसायिक योजना	2	3	177381	6X12 = 72 व०मी०	7905600	790560
42		2	4	177382	6X12 = 72 व०मी०	7905600	790560
43		2	5	177383	6X12 = 72 व०मी०	7905600	790560
44		2	6	177384	6X12 = 72 व०मी०	7905600	790560
45		30	45	177385	4.5X9=40.5 व०मी०	631800	63180
46	जवाहर नगर आवासीय योजना	30	47	177386	4.5X9=40.5 व०मी०	631800	63180
47		7	15	177387	10.5X20.5 = 215.25 व०मी०	3357900	335790
48		1	27	177388	11.4X24 = 273.6 व०मी०	4268160	426816
49		20	36	177389	4.5X9=40.5 व०मी०	631800	63180
50		29	2	177390	4.5X9=40.5 व०मी०	631800	63180

सामान्य शर्तें :-

- उपरोक्त निविदा/प्रस्थापना की सामान्य नियम, शर्तें, मानचित्र या उससे संबंधित अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in>, www.bhilainagarnigam.com, www.uad.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।
- निविदा प्रक्रिया में कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं, निविदा में भाग लेने के लिए निविदाकार को सर्वप्रथम ऑनलाईन पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> में पंजीयन पूर्ण कराना होगा तथा स्वयं का डिजिटल सिग्नेचर टोकन तैयार कराना होगा। डिजिटल सिग्नेचर टोकन, किसी भी अधिकृत च्वाइस सेन्टर से बनवाया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर टोकन बनवाने के पश्चात् पोर्टल में पंजीयन से प्राप्त आई.डी., पासवर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर टोकन पिन (PIN) के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है। ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया की संपूर्ण कार्यवाही <https://eproc.cgstate.gov.in> पोर्टल पर होगी।
- उक्त भूखण्ड हेतु धरोहर राशि ऑनलाईन <https://eproc.cgstate.gov.in> पोर्टल पर जमा किया जाना है।
- निविदा/प्रस्थापना 30 वर्षीय स्थायी लीज पर प्राप्त अधिकतम प्रब्याजि के लिए आमंत्रित की जा रही है एवं प्राप्त अधिकतम प्रब्याजि राशि पर आवासीय प्रयोजन हेतु 0.30 प्रतिशत एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु 0.60 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक देय होगा।
- निविदा/प्रस्थापना या उसके अंश को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने एवं संशोधन का अधिकार आयुक्त, नगरपालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित होगा।

नगरपालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगरपालिक निगम भिलाई
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)
आवासीय/व्यावसायिक भूखंड नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

-::निविदा की नियम/शर्तः:-

आयुक्त, नगरपालिक निगम भिलाई की ओर से निगम की विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में रिक्त भूखंडों में आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु नियमानुसार गठित संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा आम नागरिकों से अधिकतम प्रब्याजि हेतु निविदा, ऑनलाईन पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित शर्तें एवं विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

1. निविदा प्रक्रिया में कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं, निविदा में भाग लेने के लिए निविदाकार को सर्वप्रथम ऑनलाईन पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> में पंजीयन पूर्ण कराना होगा तथा स्वयं का डिजिटल सिग्नेचर टोकन तैयार कराना होगा। डिजिटल सिग्नेचर टोकन, किसी भी अधिकृत च्वाइस सेन्टर से बनवाया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर टोकन बनवाने के पश्चात् पोर्टल में पंजीयन से प्राप्त आई.डी., पासवर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर टोकन पिन (PIN) के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।
2. निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित धरोहर राशि, प्रत्येक भूखंड के लिये ऑनलाईन पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> के माध्यम से पृथक-पृथक जमा करना होगा।
3. निविदा में सम्मिलित किये गये भूखण्डों की विशिष्टियां, आकार एवं ऑफसेट मूल्य का विवरण पृथक से संलग्न है। प्रस्थापना/निविदा, भूखंड की 30 (तीस) वर्ष की लीज अवधि के लिये अधिकतम प्रब्याजि के लिये आमंत्रित की गई है। दरें, प्रतिवर्गमीटर प्रब्याजि के रूप में दी जाने वाली राशि के लिये भरी जावें। निगम द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित ऑफसेट मूल्य से कम दर पर भूखण्डों हेतु बोली स्वीकार्य नहीं होगी।
4. प्रस्थापना/निविदा के अनुसार दिये गये प्रस्ताव को नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा स्वीकृति की अवस्था में निविदादाता/प्रस्थापना को प्रब्याजि की शत प्रतिशत राशि स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि में जमा करना होगा तथा इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जाएगी। उपरोक्त प्रब्याजि राशि निगम कोष में जमा कराने हेतु यदि निविदाकार किसी मान्यता प्राप्त बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहें तो नगरपालिक निगम भिलाई को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी किन्तु इस कार्यालय द्वारा विधिवत् लीज निष्पादन के पश्चात् ही बंधक/ऋण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त बंधक/ऋण के संबंध में निगम से कोई त्रिपक्षीय एग्रीमेंट निष्पादन हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

5. यदि विनिर्दिष्ट कालावधि 30 दिवस के भीतर प्रब्याजि की सम्पूर्ण राशि निविदाकार द्वारा जमा नहीं की जाती है तो सूचना प्राप्ति से राशि जमा करने की तिथि तक की सम्पूर्ण अवधि हेतु 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से, ब्याज सहित प्रब्याजि की सम्पूर्ण राशि अधिकतम 60 दिवस की अवधि में जमा करायी जा सकती है। उपरोक्त 60 दिवस की अवधि में भी प्रब्याजि की शत-प्रतिशत राशि नहीं जमा कराने की दशा में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभिग्रहीत कर ली जाएगी तथा निविदाकार की प्रस्थापना स्वतः अमान्य हो जावेगी तथा इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. प्रस्थापना करने वाले को प्रब्याजि की सम्पूर्ण राशि जमा करने के तीन माह भीतर लीजडीड का पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा। निविदा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में आबंटन निरस्त कर अमानत राशि निगम में राजसात कर दी जावेगी। आबंटन निरस्त होने की स्थिति में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
7. प्रस्थापना किये जाने के तत्काल पश्चात्, यथास्थिति प्रथम दो उच्चतम प्रस्थापना करने वालों, की प्रतिभूति निक्षेप (धरोहर राशि) की राशि को छोड़कर शेष सभी निविदाकारों की प्रतिभूति निक्षेप (धरोहर राशि) की राशि ऑनलाईन वापस कर दी जावेगी।
8. प्रस्थापना/निविदा की पूरी राशि उच्चतम प्रस्थापना/निविदा करने वाले द्वारा जैसे ही जमा की जाती है तो शेष बचे द्वितीय उच्चतम प्रस्थापना/निविदा करने वाले की प्रतिभूति/निक्षेप (धरोहर राशि) की राशि ऑनलाईन वापस कर दी जावेगी।
9. आबंटिती को प्रतिवर्ष पहली अप्रैल से मार्च की अंतिम तारीख तक प्रब्याजि की 0.30 प्रतिशत राशि आवासीय प्रयोजन हेतु एवं प्रब्याजि की 0.60 प्रतिशत राशि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु वार्षिक भूभाटक के रूप में जमा करना होगा। ऐसा पहला भुगतान लीज की निष्पादन की पहली तारीख को किया जावेगा।
10. लीज की अवधि 30 वर्षों के लिये होगी। प्रत्येक 30 वर्ष के बाद लीज नवीनीकरण के समय प्रचलित भू-भाटक की राशि में 06 गुना की वृद्धि की जावेगी। लीज की यह अवधि 30-30 वर्ष के लिये दो बार और बढ़ाई जा सकेगी।
11. सशर्त निविदा अमान्य की जावेगी।
12. निगम द्वारा निविदा समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह माना जावेगा कि निविदाकार को उस संपत्ति की लीज का अधिकार नियमानुसार प्राप्त होगा, यदि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो निविदाकारों को संबंधित भूमि का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा बिना किसी ब्याज/क्षतिपूर्ति के निविदाकारों को उनके द्वारा जमा की गई राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा अन्य कोई दावा निगम द्वारा मान्य नहीं होगा।
13. पंजीयन के पश्चात् आबंटिती को अपने भूखंड पर भवन का निर्माण निगम द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार पंजीयन दिनांक से दो वर्ष के अंदर पृथक से भवन अनुज्ञा प्राप्त कर पूर्ण

- करना होगा। विशेष परिस्थिति में निगम द्वारा यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, इस हेतु क्षतिपूर्ति/विलंब शुल्क तत्समय निर्धारित/प्रचलित दर के अनुसार जमा करना होगा।
14. योजना के अंतर्गत किये जाने वाले प्रत्येक निर्माण व परिवर्तन के लिये छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना होगा। अनुज्ञा हेतु आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किसी अनुज्ञा प्रभारी वास्तुविद से नक्शा बनवाकर आवश्यक शुल्क व क्षतिपूर्ति बंधन पत्र साथ में देना होगा। भवन अनुज्ञा मिलने के एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ नहीं करने पर अनुज्ञा का नवीनीकरण भी कराया जा सकता है। आबंटित भूखंड पर पट्टेदार द्वारा स्वयं के व्यय से भवन निर्माण करेगा।
 15. आबंटिती को निर्मित क्षेत्र के गंदे पानी के निकास की व्यवस्था निगम द्वारा निर्मित नाली तक स्वयं के व्यय पर करना होगा एवं नाली आवश्यक होने पर आबंटिती स्वयं के व्यय से निर्माण करेगा।
 16. यदि आबंटिती भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तांतरण करना चाहे तो स्थाई पट्टे के निष्पादन के पश्चात् तदाशय का आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृति प्राप्त होने पर निगम द्वारा निर्धारित हस्तांतरण शुल्क जमा कर नियमानुसार हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा सकेगी। नाम परिवर्तन हेतु नामांतरण प्रक्रिया अंतर्गत तत्समय प्रचलित नामान्तरण शुल्क आबंटिती/हस्तांतरिती द्वारा निगम कोष में जमा करना होगा।
 17. भूखंड का कब्जा लेते समय आवेदक को स्वयं के व्यय से स्थल पर पक्के निशान, इस कार्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति में करने होंगे ताकि भविष्य में कोई विवाद एवं फेरबदल की संभावना उत्पन्न न हो सके।
 18. भूखंड जिस उपयोग के लिये दिया गया है, उसमें कोई फेरबदल या तब्दीली, नगर निगम की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी। आबंटित भूमि को टुकड़ों में विभक्त कर नहीं बेचा जा सकेगा।
 19. आबंटिती स्वयं कोई अनुत्रास (Nuisance) पैदा नहीं करेगा तथा दूसरों को नहीं करने देगा या आबंटन की शर्तों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा न दूसरों को करने देगा। आबंटिती स्वयं प्लॉट/दुकान पर नुकसानी पहुंचाने के लिये कोई कार्य नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ही करने देगा।
 20. निगम जलोत्सारण अनुत्रास के शिकायतों की जाँच करेगा और यदि आबंटिती को उसे सूचना दिये जाने पर सूचना में निर्धारित अवधि में दूर नहीं करता तो जो खर्च आवेगा, उसे निगम आबंटिती से वसूल कर सकेगा। आबंटिती, उक्त अवधि में उक्त भूमि तथा उस पर की इमारतों, नालियों, अहाते की दीवारों, बागडों तथा अन्य निर्मितियों की निगम द्वारा ऐसे व्यक्ति की, जिसे वह इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें, समाधान पर्यन्त मरम्मत अभिव्यक्ति में सामान्यतः यह आवश्यक अंदर तथा बाहर की पुताई रंग तथा सफेदी सम्मिलित होगा तथा साफ तथा अच्छी हालत में रखेगा।
 21. आबंटिती द्वारा निगम अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा नगरपालिक निगम और छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के सेवा संविदाधारी को ऐसे मजदूरों के साथ जो किसी जल

प्रदाय, पाईप लाईन, मल प्रवाह अथवा विद्युत प्रणाली के डालने मरम्मत अथवा बदलने तथा उसे संबंधित कार्य के लिये तथा साथ ही इन सेवा प्रणालियों को घरों से संबंध प्रयोजन के लिये आवश्यक हो उक्त भूमि तथा उस पर प्रवेश करने की अनुमति देगा।

22. आबंटिती, उक्त उल्लेखित सेवा प्रणालियों पर उन्हें डालने वाले प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के बिना अन्य बाधा नहीं डालेगा, निर्माण नहीं करेगा तथा उनमें अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा।
23. आबंटिती जब तक उनके द्वारा रक्षित भाड़े का भुगतान करेगा तथा समय तक उसमें दी गई शर्तों का पालन करेगा उक्त अवधि में निगम या उससे अधीन विधिक रूप से दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या बाधा के बिना उक्त भूमि को निर्विघ्न रूप से धारण करेगा और इसका उपभोग करेगा परन्तु यदि किसी समय उक्त भाड़ा उसका कोई भाग उसके देय होने की तारीख से ठीक एक अंग्रेजी माह बाद तक चाहे उसकी विधिक रूप से मांग की गई हो या नहीं बकाया तथा आदत्त रहे और यदि आबंटिती द्वारा उक्त किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किया जावे या पालन न किया जावे तो निगम उक्त भूमि पर इसके पहले के किसी कारण या पुनः प्रवेश कर सकेगा और उसे फिर से अपने कब्जे में ले सकेगा मानो कि वह पट्टा दिया ही नहीं गया था। ऐसी स्थिति में आबंटिती पुनः प्रवेश की तारीख से तीन अंग्रेजी माह के भीतर उन सभी इमारतों को हटाने का हकदार रहेगा और जो पट्टे की अवधि में किसी भी समय उनके द्वारा उक्त भूमि पर निर्मित या संबद्ध किये गये हो।

परन्तु यह और कि जब ऊपर उल्लेखित के अंतर्गत पुनः प्रवेश का कोई कारण या अधिकार उत्पन्न हो तब पट्टादाता के लिए यह विधि संगत होगा कि वह पुनः प्रवेश की शक्ति का प्रयोग न करने के प्रतिफलस्वरूप पट्टेदार से भूखण्ड/भवन के तत्समय का बाजार मूल्य, जो प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर अनुसार भूखण्ड के बाजार मूल्य का अधिकतम 10 (दस) प्रतिशत तक की रकम जो कि पट्टादाता द्वारा निश्चित की जाए, प्राप्त करें और यदि पट्टादार पट्टादाता के आदेश द्वारा नियत अवधि के भीतर उक्त रकम का भुगतान न कर पाये तो पट्टादाता छत्तीसगढ़ नगरपालिक अधिनियम, 1956 में उल्लेखित प्रावधान के तहत देय बकाया राशि भू-राजस्व के रूप में वसूली कर सकेगा या ऊपर उल्लेखित के अंतर्गत पुनः प्रवेश का अधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

24. लीज 30 वर्ष की अवधि के अंत में और इसके बाद भी समय-समय पर आगे की प्रत्येक अनुवर्ती अवधि के अंत में और जो कि आबंटिती के निवेदन पर और उसके खर्च पर मंजूर की जावेगी, उसके लिये पट्टादाता द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिये उक्त भूमि का नवीनीकृत पट्टा निष्पादित कर सकेगा।

परन्तु पट्टे के नवीनीकरण के समय तत्समय प्रचलित भू-भाटक का 06 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा और प्रत्येक नवीनीकृत पट्टे पर भी, दी गई शर्तें जो कि लागू हो सकती हों और ऐसी अन्य शर्तें जो भविष्य के लिये उपयुक्त समझी जाये, रहेगी परन्तु यह और कि प्रत्येक अनुवर्ती नवीनीकरण हेतु नियत किये जाने वाले भाड़े और लगाये जाने वाली शर्तों के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम होगा। पट्टा के करारनामा, किन्हीं शर्तों के बावत् विवाद उपस्थित होने पर आयुक्त, नगरपालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम होगा, जिसे पट्टेदार को मानना अनिवार्य होगा।

25. इसके अतिरिक्त निगम द्वारा नियमों के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित दर पर वार्षिक भू-भाटक एवं संपत्तिकर तथा अन्य कर, जो निगम द्वारा समय-समय पर आरोपित किये जावे, देय होगा।
26. प्रतिभूति निक्षेप की ऐसी राशि जो निगम नियत करें किन्तु ऐसी राशि अचल संपत्ति के अनुमानित मूल्य के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी, यथास्थिति, प्रत्येक बोली लगाने वाले या प्रस्थापना करने वाले, ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन घोष विक्रय में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होगा और इसी प्रकार बिना प्रतिभूति निक्षेप के प्राप्त हुये प्रस्थापना विचार योग्य नहीं होंगे।
27. उच्चतम बोली/प्रस्थापना नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 80 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होंगे।
28. उच्चतम बोली/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर की उसकी बोली/प्रस्थापना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिये गये है, बोली/प्रस्थापना की शत-प्रतिशत राशि इस कार्यालय द्वारा सूचना पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जाएगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभिगृहीत कर ली जाएगी। इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त सूचना पत्र संबंधित निविदाकार को व्यक्तिशः जारी करने के साथ-साथ नगरपालिक निगम भिलाई के सूचना पटल एवं निगम की वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com में प्रकाशित की जावेगी, निविदाकारों को कार्यालयीन सूचना पटल एवं उक्त वेबसाइट के अवलोकन की अपेक्षा की जाती है।
29. संपूर्ण निविदा के अनुसार प्रस्ताव को या निविदा के किसी अंश को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत करने या न करने एवं संशोधित करने का अधिकार निगम के आयुक्त को होगा व उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।


आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई